



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255050
CG-DL-E-01072024-255050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]
No. 173]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946
NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं - एडी (ओआई) - 17/2024

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लूफ्रोसिनेट और इसके साल्ट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/19/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' के रूप में कहा जाएगा) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' के रूप में कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी और यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाएं एरिस्टा लाइफसाइंस इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रूप में कहा जाएगा) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' के रूप में कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लूफ्रोसिनेट और इसके साल्ट (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तुएँ' के रूप में कहा जाएगा) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' के रूप में कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटित आयातों के

कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की और भी आशंका है और उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पी.यू.सी.)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लूफोसिनेट और उसका साल्ट है। विचाराधीन उत्पाद को ग्लूफोसिनेट अमोनियम (डी, एल-फॉस्फिनोथ्रिसिन या 2-अमीनो-4-(हाइड्रॉक्सी मिथाइल फॉस्फोनिल) के नाम से भी जाना जाता है।
4. ग्लूफोसिनेट सफ़ेद से हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जिसमें हल्की तीखी गंध होती है और यह अत्यधिक घुलनशील और वाष्पशील और दोनों ही उत्पाद के दायरे का हिस्सा हैं। ग्लूफोसिनेट का व्यापार दो रूपों में किया जाता है, अर्थात् तकनीकी और निर्माण। ग्लूफोसिनेट तकनीकी की पूरी खपत ग्लूफोसिनेट निर्माण के उत्पादन में होती है। ग्लूफोसिनेट तकनीकी का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं होता और इसका उपयोग करने के लिए इसे अनिवार्य रूप से निर्माण में संसाधित करना होता है। तकनीकी चरण से निर्माण के चरण तक की प्रक्रिया एकल चरण प्रक्रिया होती है। वाणिज्यिक तौर पर निर्माण के लिए ग्लूफोसिनेट का आयात नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें मुख्य सांद्रता (कंसंट्रेशन) पानी की होती है और खरीदने की लागतें अधिक होती हैं।
5. विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। तथापि, उत्पाद को 38089190, 38089390 और 38089990 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार, प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं तथा पी.सी.एन., यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है तथा दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक तथा रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं तथा करते रहे हैं। दोनों ही तकनीकी तथा व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, तथा इसलिए, नियमों के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जाँच शुरूआत करने के प्रयोजनों के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

8. यह आवेदन यूपीएल लिमिटेड तथा इसकी संबंधित इकाइयों अर्थात् एरिस्टा लाइफसाइंस इंडिया लिमिटेड, स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी तथा यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का उत्पादन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 100% है, तथा भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। ग्लूफोसिनेट के निर्माण के अन्य उत्पादक तथा विक्रेता अर्थात् एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी तथा यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन लिमिटेड ने अपने प्रासंगिक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
9. प्राधिकरण ने नोट किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित आवेदकों में से एक ने विचाराधीन उत्पाद को चीन जनवादी गणराज्य से आयात किया है। तथापि, उनके द्वारा आयात केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए किया गया था तथा घरेलू बाजार में बेचा नहीं गया था। आवेदकों ने कहा है कि वे विषय देश के निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं या भारत में आयात।
10. यह भी देखा गया है कि भारत में कुछ उत्पादक ऐसे हैं, जो तकनीकी रूप में ग्लूफोसिनेट का उत्पादन नहीं करते हैं, वे या तो इसे आवेदकों से खरीदते हैं या इसका आयात करते हैं और इसे फॉर्मूलेशन में संसाधित करते हैं। वे कंपनियाँ, जिनके पास तकनीकी ग्लूफोसिनेट के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएँ नहीं हैं और वे केवल आयातित तकनीकी को फॉर्मूलेशन में संसाधित कर रही हैं। इसके अलावा, वे विचाराधीन उत्पाद के एक रूप का

आयात कर रही हैं और इसे दूसरे रूप में बनाने के लिए संसाधित कर रही हैं। इन उत्पादकों को नियम 2(ख) के अनुसार प्रस्तावित जाँच के उद्देश्य से उत्पाद का “घरेलू उत्पादक” नहीं माना गया है।

11. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से ‘घरेलू उद्योग’ की स्थापना करता है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. जांच की अवधि (पी.ओ.आई.)

13. जांच के लिए जांच की अवधि (पी.ओ.आई.) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि (पी.ओ.आई.) है।

च. सामान्य मूल्य

I चीन जन. गण.

14. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए, और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदकों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। इसके अलावा, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चूंकि उत्पाद का कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है, अतः एक देश से दूसरे देश में कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः, आवेदकों ने उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ समायोजित किया गया है। आवेदकों द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच शुरू करने के प्रयोजन से विचार किया गया है।

छ. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य डीजीसीआई एंड एस डेटा में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय के लिए समायोजन का दावा किया गया है। संबद्ध देश के लिए शुद्ध निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

18. आवेदकों ने पाटित किए गए आयातों के कारण आवेदकों को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच अवधि में संबद्ध देश से आयात की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। आयात आवेदकों की लागत और कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में कटौती हुई है। यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों के कारण आवेदकों को अपना उत्पादन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादन और क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, जांच अवधि में आवेदकों के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि, निर्यातकों की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि, आयात मूल्य के

न्यूनीकरण या दबावकारी प्रभाव, कीमत और लागत में कटौती, चीन के उत्पादकों के पास वस्तुसूची के कारण, यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है तो आगे और क्षति का खतरा है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों के कारण आवेदकों को होने वाली भौतिक क्षति और आगे और क्षति के खतरे के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ट. प्रक्रिया

20. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडीडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस इस अधिसूचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतीकरण

29. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे प्रस्तुतीकरणों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी के समक्ष बिना ऐसे चिह्नों के प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्रस्तुतीकरणों का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

31. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/ या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाना चाहिए या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. धिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

34. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमावली 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

35. कोई हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसारित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे पर नियमों के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय संस्करण या पर्याप्त और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत नहीं करता है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का गोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का गोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

त. **असहयोग**

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच से इनकार करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE

(Ministry of Commerce and Industry)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2024

Case No. AD (OI)-17/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of 'Glufosinate and its salt' from China PR.

F. No. 6/19/2024-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), UPL Limited, and its related entities Arysta LifeScience India Limited, Swal Corporation Limited, United Phosphorus (India) LLP and UPL Sustainable Agri Solution Limited (hereinafter referred to as the 'applicants' or 'domestic industry') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of Glufosinate and its salt (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicants have alleged that the product under consideration is being imported from the subject country at dumped prices which are causing material injury to the domestic industry. The applicants have also alleged that there is a further threat of material injury to the domestic industry due to dumped imports and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the product under consideration from the subject country.

A. Product under consideration (PUC).

3. The product under consideration in the present investigation is glufosinate and its salt. The product under consideration is also known as glufosinate ammonium (D, L-phosphinothricin or 2- amino-4-(hydroxy methyl phosphonyl).

4. Glufosinate is white to light yellow crystalline solid with slight pungent odor and is highly soluble and volatile material. Glufosinate is traded in two forms i.e. technical and formulation and both are part of the scope of the product. The entire consumption of glufosinate technical is in the production of glufosinate formulation. Glufosinate technical does not have any independent use and has to be compulsorily processed into formulation in order to use it. The process from the stage of technical to formulation is single step process. Glufosinate in formulation form is not imported due to commercial considerations as the major concentration is of water and higher shopping costs.

5. The product under consideration does not have dedicated classification under the Customs Tariff Act, 1975. However, the product is imported under 38089190, 38089390 and 38089990. The custom classification code is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

6. The parties in the present investigation may provide their comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs, if any, within 15 days of the circulation of the non-confidential version of documents filed before the Authority.

B. Like article.

7. The applicants have submitted that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and exported from the subject country and both are like articles. The product produced by the applicants and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the domestic industry has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. Domestic industry and standing.

8. The application has been filed by UPL Limited and its related entities i.e., Arysta LifeScience India Limited, Swal Corporation Limited, United Phosphorus (India) LLP and UPL Sustainable Agri Solution Limited. The production of the applicants constitutes majority of the of Indian production of the product.
9. The Authority notes that the one of the applicant located in SEZ has imported the product under consideration from China PR. However, the imports were made by them solely for export purposes and not sold in the domestic market. The applicants have stated that they are not related to the exporters in the subject country or the imports in India.
10. It is also seen that there are some producers in India, who do not produce glufosinate in technical form, either purchase it from the applicants or import it and process the same into formulation. Those companies who do not have manufacturing facilities for production of glufosinate technical and are merely processing imported technical and converted into formulation. Further, they are importing one form of the product under consideration and processing it to make other form. These producers have not been considered as "domestic producer" of the product for the purpose of proposed investigations in accordance with Rule 2(b).
11. Based on the information provided, it is seen that the applicants constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Subject country.

12. The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of investigation (POI).

13. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st January 2023 to 31st December 2023 (12 months). The injury examination period is 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023 and the POI.

F. Normal value.

I. China PR

14. The applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy, and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
15. The applicants have submitted that efforts were made to determine the normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicants could not get any information regarding the same. Further, the applicants have submitted that since the product does not have dedicated classification, the price from a country to other country cannot be considered. Therefore, the applicants claimed normal value based on best estimates of the cost of production, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

G. Export price.

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCI&S data. Adjustments have been claimed for ocean freight,

marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export prices for the subject country.

H. Dumping margin.

17. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above *de-minimis* level with respect to the product under consideration imported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market by the exporters from the subject country.

I. Allegation of injury and causal link.

18. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the applicants because of dumped imports. The volume of import from the subject country sharply increased in the period of investigation. The imports are below the cost and price of the applicants resulting in price undercutting. It has also been claimed that because of dumped imports from the subject country, the applicants were forced to suspend its production. The domestic sales, market share, production and capacity utilisation declined significantly. Further, the profit and return on capital employed of the applicants have declined in the period of investigation. The applicants have also alleged that there is a threat of further injury if anti-dumping duties are not imposed on account of significant increase in dumped imports, substantial increase in capacity of the exporters, suppression or depression effect of import price, price & cost undercutting, inventories with the Chinese producers. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury and threat of further injury being caused to the applicants due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

J. Initiation of anti-dumping investigation.

19. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants, and having reached satisfaction based on *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry and causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of the anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. Procedure.

20. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

L. Submission of information.

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
23. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

M. Time limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date on the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received

within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

N. Submission of information on confidential basis

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
30. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested party within 7 days from the date of circulating of the non-confidential version of the documents.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/ information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

P. Non-cooperation

40. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested parties as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority